No.

नगर विकास न्यास, कोटा

आवेदन पुस्तिका

श्री अशोक गहलोत
मुख्यमंत्री
राजस्थान सरकार

उम्मेदगंज नगर आवासीय योजना

श्री शान्ति धारीवाल
नगरीय विकास, स्वायत्त शासन
एवं आवासन मंत्री, राज. सरकार

कुल भूखण्ड	180

दर 1400/- प्रति वर्ग फुट

आवेदन पत्र विक्रय आरम्भ करने की तिथि	05 जून 2023
आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि	26 जून 2023

500/-

आवेदन पत्र के साथ

1. योजना में आवेदन करने हेतु आवेदन पुस्तिका बड़ौदा राज. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के माध्यम से प्राप्त किये जा सकते है। पूर्ण फार्म निर्धारित पंजीयन राशि सहित जरीये डिमाण्ड ड्राफ्ट/चैक **सचिव, नगर विकास न्यास, कोटा** के नाम से बड़ौदा राज. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में जमा होंगे।

2. **आवेदन पत्र के साथ जमा होने वाले दस्तावेज :-**
   1. आधार कार्ड की प्रति 2. पेन कार्ड की स्व अनुप्रमाणित प्रति (**कर योग्य आय होने पर**)
   3. आवेदक अपने खाते का कैन्सिल चैक CTS 2010 अथवा पास बुक की प्रति संलग्न करें
   4. निवास प्रमाण पत्र 5. स्व घोषणा पत्र (सलंग्न प्रारूप के साथ)

Baroda Rajasthan kshetriya Gramin Bank

1. Nayapura Kota
2. Kota Jucntion
3. Kehsvpura Kota
4. Dadabari Kota
5. Girdharpura Kota
6. Bhamashah Mandi Kota
7. Annatpura Kota
8. Kansuwa Kota
9. Gumanpura Koa
10. Badgav Kota
11. Nanta Kota
12. Borekheda Kota
13. R.K. Puram Kota
14. कोटा की सभी शाखाऐं तथा बारां, झालावाड़ एवं बून्दी की मुख्य शाखा।

नगर विकास न्यास, कोटा

Ph. : 0744 2500539

kotauit@yahoo.com www.uitkota.org

नगर विकास न्यास, कोटा

मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं में आवास की आवश्यकता महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। प्रत्येक मनुष्य का स्वंय का घर होने का सपना होता है। भारत की लगभग एक चौथाई शहरी आबादी अभी भी ऐसी आमदनी पर जीवन यापन कर रहे है जो कि गरीबी रेखा से नीचे है , उनमें ज्यादातर लोग गंदी बस्ती और छोटे घनत्व (बसावट) में अमानवीय परिस्थितियों में रहते है। ये लोग सम्मानित जीवन, आश्रय, सुरक्षा, मूलभूत सुविधाओं और सामाजिक सेवाओं के अधिकारों से वंचित है। इनकी आमदनी का 80 प्रतिशत हिस्सा खान-पान में खर्च हो जाता है और जीवन निर्वाह हेतु अन्य आवश्यकताओं जैसे आवास आदि के लिए बहुत कम हिस्सा बचता है। भूमि की कीमत में अत्यधिक वृद्धि के कारण ये लोग मूलभूत सुविधाओं से युक्त योजना में भूखण्ड क्रय करके आवास की व्यवस्था नहीं कर सकते और मलिन बस्तियों के अस्वच्छ वातावरण में रहनें को मजबूर हो जाते हैं। देश की करीब एक तिहाई शहरी आबादी कच्ची बस्तियों में रहती है ।

नगर विकास न्यास, कोटा इसी सपने को साकार करने के लिए हमेशा तत्पर रहा हैं। शहरी निर्धन वर्ग हेतु मूल सुविधाओं जैसे सड़क, पानी, बिजली, सीवरेज, आदि से युक्त कम कीमत पर 180 भूखण्ड लॉटरी के माध्यम से आवंटन हेतु निर्धारित किये गये है।

न्यास द्वारा कोटा शहर में वित्तीय वर्ष 2021-22 में विकसित उम्मेदगंज नगर आवासीय योजना के अन्तर्गत उपलब्ध रिक्तभूखण्ड नागरिको को लॉटरी के माध्यम से सस्ती दरो पर आवटंन किया जाना है। न्यास ने इस योजना में कुल 180 भूखण्डों के निश्चित एवं उचित दर पर एक साथ लॉटरी के माध्यम से आवंटन करने का निर्णय लिया है ताकि उनको एक निश्चित एवं उचित दर पर भूखण्ड लेने का अवसर मिल सके।

इस योजना के लिए कई प्रकार की छूटे दी जा रही है, जिनका विवरण आवेदन पुस्तिका में अंकित है।

आम जनता से अनुरोध हैं कि आवेदन पुस्तिका का अध्ययन कर अधिकतम संख्या में आवेदन करें व योजना लाभ उठावें ।

राजेश जोशी
सचिव, नगर विकास न्यास,
कोटा

ओ.पी. बुनकर
अध्यक्ष, नगर विकास न्यास एवं
जिला कलक्टर, कोटा

COMPLEMENTARY COPY

नगर विकास न्यास, कोटा

योजना में उपलब्ध भूखण्ड एवं दर

क्र.सं.	योजना का नाम	उपलब्ध भूखण्डों की संख्या	आरक्षित दर (प्र.व.मी.)	निश्चित विक्रय दर आवंटन हेतु प्रस्तावित दर रू. (प्र.व.फी.)	विशेष विवरण
1.	उम्मेदगंज नगर आवासीय योजना	180	6500/-	1400/-	कॉर्नर भूखण्ड के लिए 10 प्रतिशत अतिरिक्त राशि देय होगी।

* उम्मेदगंज नगर आवासीय योजना — विशेष छूटे:-

1. **आय वर्ग (इनकम ग्रुप) की बाध्यता नहीं :-** आवेदक किसी भी आय वर्ग का हो वह दी गई किसी भी साईज के भूखण्ड के लिए आवेदन कर सकता है।

2. **पूर्व में भूखण्ड/आवास होने पर भी पात्र :-** आवेदक के स्वयं के नाम से भूखण्ड / आवास है तब भी वह इस योजना में भूखण्ड आवंटन हेतु आवेदन कर सकता है।

3. **भूखण्ड की कीमत में 5% की छूट का विकल्प :-** देय सम्पूर्ण राशि एकमुश्त 45 दिवस में जमा करने पर भूखण्ड की कीमत में 5% की छूट दी जायेगी।

4. **हस्तानान्तरण हेतु विक्रय अनुमति के लिए देय राशि में छूट :-** भूखण्ड के हस्तानान्तरण हेतु विक्रय अनुमति प्राप्त करने के लिए देय 10% कर (लेवी) से मुक्त रखा गया है अर्थात् कोई कर (लेवी) देय नहीं है।

5. **एक व्यक्ति / परिवार के द्वारा एक से अधिक आवेदन की छूट :-** एक व्यक्ति के द्वारा अथवा एक परिवार के एक से अधिक सदस्य भी एक से अधिक भूखण्ड आवंटन के लिए आवेदन कर सकते है।

नगर विकास न्यास, कोटा

विशेष आकर्षण

1. पंजीयन राशि एवं प्रशासनिक शुल्क के चैक/RTGS से भी भुगतान की सुविधा।
2. भूखण्डों का सस्ती दरों पर लॉटरी के माध्यम से आवंटन।
3. लॉटरी, आवेदन की अन्तिम तिथि से एक माह में निकाली जायेगी।
4. भुगतान 15%, 35% एवं 50% क्रमशः 30 दिवस, 60 दिवस एवं 120 दिवस में किये जाने की सुविधा।
5. चौड़ी सड़कें
6. विभिन्न वर्गो को आरक्षण की सुविधा।

न्यास द्वारा इस योजना में भूखण्डों की दरों में कमी, आवेदन करने हेतु पात्रता में विशेष छूटें एवं विशेष आकर्षण हेतु कई प्रकार की शिथिलतायें दी गई है। इन्हें अन्य योजनाओं अथवा नीलामी के भूखण्डों के लिए आधार या उदाहरण नहीं बनाया जा सकेगा।

योजना स्थल एवं विशेषताएं :-

* उम्मेदगंज नगर आवासीय योजना :-

इस योजना में नाग-नागिन मन्दिर केनाल रोड़ से सीधी पहुंच है। योजना में पहुँच के लिए अनन्तपुरा तिराहे से फोरलेन (NH-27 बारां की तरफ)से भी बाईपास निर्माण कार्य प्रगतिरत है।यह योजना भामाशाह मण्डी के प्रस्तावित विस्तार के समीप रहेगी।योजना के लिए कोटा से कैथून जाने वाली सड़क से भी पहुंच मार्ग है। नाग-नागिन मंदिर से केनाल के सहारे रोड़ से 10 मिनिट में पहुंचा जा सकता है। योजना में पार्क एवं अन्य सामुदायिक सुविधाएं, जनोपयोगी सुविधाएं एवं वाणिज्यिक क्षेत्र का प्रावधान रखा गया है।

आवेदन कौन प्रस्तुत कर सकता हैं:-

आप निवेदन कर सकते हैं यदि आप:-

1. राजस्थान के मूल निवासी है।
2. आप की आयु आवेदन के समय 18 वर्ष की हो चुकी हो।
3. आवेदन सम्बन्धी निर्धारित अन्य शर्तें पूर्ण करते हैं।
4. आवेदक किसी भी आय वर्ग का हो वह किसी भी साईज के भूखण्ड पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकता है।
5. यदि आवेदक के स्वयं के नाम से भूखण्ड / आवास है तब भी वह भूखण्ड आवंटन हेतु आवेदन कर सकता है।

भूखण्डों की संख्या, साईज/क्षेत्रफल, अनुमानित कीमत, पंजीयन राशि आदि का निवारण

योजना का नाम : उम्मेदगंज नगर **दर 1400/- प्रति वर्ग फीट**

क्र.सं.	साईज	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (वर्गफीट)	भूखण्डों की संख्या	अनुमानित कीमत प्रति भूखण्ड (नॉन कॉर्नर)	पंजीयन राशि
1	12x21	252	2711.52	66	37,96,128/-	3,80,000/-
2	9x18	162	1743.12	93	24,40,368/-	2,50,000/-
3	7.5x15	112.5	1210.50	21	16,94,700/-	1,70,000/-
			योग	180		

योजना में पंजीयन राशि के साथ 2000/-रू. प्रशासानिक शुल्क राशि जमा होगी ,जो अदेय (Non Refundable) है।

योजना का विवरण :-

उम्मेदगंज नगर आवासीय योजना में भूखण्डों की संख्या मांग एवं उपलब्धता के आधार पर घटाई-बढाई जा सकती है।उक्त योजना में कॉर्नर भूखण्ड होने की स्थिति में 10 % अतिरिक्त चार्ज देय होगा। इन भूखण्डो का आवंटन लॉटरी पद्धति से किया जावेगा।

पात्रता:-

1. आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
2. आवेदक को वयस्क होना चाहिए अर्थात् आवेदन-पत्र जमा कराने की तिथि को आवेदक की आयु 18 वर्ष पूरी होनी चाहिए।
3. आवेदक का किसी भी बैंक में खाता होना चाहिए और आवेदक आवेदन-पत्र में उसका विवरण अवश्य भरें। यह माना जाता है कि बैंक ने ऐसे खातों के धारकों के सम्बन्ध में RBI के KYC मानकों का पालन किया है।
4. आवेदक के पास आयकर अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत कर योग्य आय(Taxable Income) होने पर आवंटित स्थाई खाता संख्या (PAN) होना चाहिए।
5. यदि आवेदक के स्वयं के नाम से भूखण्ड/आवास है तब भी वह इस योजना में भूखण्ड आवंटन हेतु पात्र है।
6. आरक्षित वर्ग के अंतर्गत आवेदन करने हेतु वांछित दस्तावेजों की स्व प्रमाणित प्रतियां संलग्न करना होगा।
7. संयुक्त नाम से आवेदन करने की स्थिति में दोनो एक ही श्रेणी के होना अनिवार्य है।

आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया :-

1. आवेदन पत्र आवेदन पुस्तिका में उल्लेखित बैंक के माध्यम से प्राप्त एवं जमा किये जा सकते है।

2. योजना के अर्न्तगत सभी साइजों के लिए आवेदन पत्र एक ही है। कृपया कोष्ठक में सही (✓) का चिन्ह लगायें।

3. आवेदन पत्र में कृपया शुद्ध हिन्दी में अपना पूर्ण नाम, पता स्पष्ट मोटे अक्षरो में लिखे तथा अपने पिता/पति का नाम, पत्र व्यवहार का पता, मोहल्ला, गली, बाजार, मकान नं0 सहित शहर/जिले का नाम, आधार नं. पिनकोड नं0 सहित स्वच्छ लेख में लिखे। प्रत्येक कटिंग पर हस्ताक्षर करें, आवेदन पत्र में टेलीफोन नं0/मोबाइल नं0 यदि हो तो लिखे तथा निर्धारित कॉलम में आवेदक के नाम का बैंक खाता संख्या तथा बैंक का नाम, IFSC कोड लिखे।

4. आवेदन पत्र अन्तिम पृष्ठ पर दिये गए फार्म एवम् चालान भरकर जमा करवाना होगा।

5. आवेदन पत्र पर नवीनतम पासपोर्ट साईज का स्व प्रमाणित फोटो अच्छी प्रकार से चिपकाए।

6. आवेदन पत्र इस पुस्तिका में वर्णित शर्तो, विशेष अनुदेशों आदि का पूर्ण अध्ययन कर भरा जावे। आवेदन एकल नाम से या संयुक्त नाम से निश्चय करके ही भरा जावे। आवेदन पत्र कार्यालय में जमा कराने के पश्चात् पते में परिवर्तन के अलावा कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा।

7. आवेदक आवेदन पत्र के सभी कॉलमों की पूर्ति करे, जो कॉलम लागू नही होता हो उसे स्पष्ट रूप से X (नही) अंकित करें।

8. आवेदन पत्र केवल आवेदन पुस्तिका में वर्णित योजना के लिए निर्धारित बैंक के माध्यम से जमा किये जाएंगे।

9. सभी दस्तावेज की सुनिश्चितता स्वयं के स्तर पर करें।

10. संयुक्त नाम से आवेदन पर दोनो आवेदकों के फोटो आवश्यक है तथा प्रपत्रों पर दोनो के क्रमानुसार संयुक्त हस्ताक्षर आवश्यक है। प्रथम आवेदक का बैंक का नाम एवं खाता संख्या आवेदन पत्र में देवें।

विशेष अनुदेश :-

1. आवदेक की आय कर योग्य (Taxable) होने पर स्थायी खाता संख्या (पैन) दिया जाना आवश्यक है। साथ ही PAN CARD की स्वअनुप्रमाणित प्रति अवश्य लगाए ।

2. आवेदक अपने खाते का एक कैन्सिल्ड चैक (cancelled cheque CTS 2010) अथवा बैंक पास बुक प्रति सलंग्न करें, जिसमें बैंक खाता संख्या एवं IFSC Code हो।

3. कृपया मोबाईल नं0, एसटीडी कोड सहित अपना फोन नं0, ई-मेंल आईडी (यदि कोई हो) दे। यह आवेदक के हित में होगा कि वे ये विवरण दें क्योकि इससे किसी प्रकार की आवश्यकता होने पर आवेदक से सम्पर्क करने में न्यास एवं बैंक को सहायता मिलेगी।

4. दिव्यांग/शारीरिक निःशक्त व्यक्ति अपने नाम से आवेदन कर सकते है। यदि वह स्वयं आवेदन पत्र जमा कराने में अक्षम तो वह आवेदन पत्र अपने कानूनी संरक्षक के माध्यम से जमा करा सकता/सकती है।

5. आवेदक का रिहायशी पता दिया जाना आवश्यक है।

6. पत्राचार, मांग/आवंटन पत्र भेजने के लिए पत्र व्यवहार के पते का उल्लेख करें।

7. पंजीकरण राशि का विवरण लिखें, (मय प्रशासनिक) शुल्क डिमाण्ड ड्राफ्ट/चैक सचिव, नगर विकास न्यास कोटा के पक्ष में देय होना चाहिए।

अथवा

पंजीकरण राशि मय प्रशासनिक शुल्क RTGS के माध्यम से भी (चालान फार्म में उल्लेखित विवरण के अनुसार) हस्तान्तरित करते हुये आवेदन पत्र मय चालान (UTR No. का उल्लेख करते हुए) निर्धारित बैंक में जमा कराया जा सकेगा।

COMPLIMENTARY COPY

आरक्षण :-

भूखण्डों की प्रत्येक श्रेणी में विभिन्न वर्गो के लिए भूखण्ड आरक्षण के प्रतिशत की तालिका नीचे दी गयी है। जो व्यक्ति जिस वर्ग के अन्तर्गत भूखण्ड हेतु आवेदन करेंगे उन्हे उसी वर्ग के लिए लॉटरी मे सम्मिलित किया जायेगा। किसी अन्य वर्ग मे उनका कोई दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा। फॉर्म में वर्ग का कोई उल्लेख नहीं होने पर सामान्य वर्ग का आवेदन माना जावेगा।

कुल (आरक्षित एवं अनारक्षित श्रेणी के) भूखण्डों के 5 प्रतिशत शारीरिक दिव्यांग के लिए तथा 10 प्रतिशत बेसहारा भूमिहीन एकल महिलाओं के लिए होगा।

(a) राज्य सरकार के विभागों एवं स्थानीय निकायों व वैधानिक निकायों के कर्मचारी (b) राज्य कर्मचारी की विधवा ;राज्य कर्मचारी की मृत्यु के 10 वर्ष की अवधि तकद्ध तथा पति की आय मृत्यु के समय 6.00 लाख से अधिक नहीं होने पर © केन्द सरकार के कर्मचारी (राजस्थान के मूलनिवासी)	सैनिक/सेवानिवृत सैनिक एवं सैनिको की विधवाएं, जिनके पति की मृत्यु सेवा के दौरान हुई हो	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	ट्रांसजेण्डर	अधिस्वीकृत पत्रकार	सामान्य श्रेणी के लिए
10%	10%	9%	6%	2%	2%	61%

नोट :- कुल भूखण्डों के 5 प्रतिशत की सीमा तक दिव्यांगो के लिए तथा 10 प्रतिशत की सीमा तक बेसहारा, भूमिहीन एकल महिलाओं के लिए आरक्षित करते हुए अर्थात् अलग करते हुए उनकी श्रेणीवार संख्या निकाली जाएगी। तत्पश्चात् उक्त 5 प्रतिशत की सीमा तक तथा 10 प्रतिशत की सीमा तक के आवेदनों को श्रेणीवार (आरक्षित एवं अनारक्षित श्रेणीवार) उपलब्ध भूखण्डों में से कम किया जायेगा। इस हेतु आवेदक को दिव्यांग/बेसहारा भूमिहीन एकल महिला के साथ श्रेणी अर्थात् राज्य कर्मचारी/सैनिक/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ट्रांसजेण्डर/अधिस्वीकृत पत्रकार/सामान्य का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। आरक्षित एवं अनारक्षित श्रेणी के भूखण्डों में से उक्त निर्धारित प्रतिशत की सीमा तक कम करते हुए प्राप्त संख्या के अनुसार आरक्षित एवं अनारक्षित श्रेणी के भूखण्डों के लिए लॉटरी निकाली जायेगी।

स्पष्टीकरण :

1. राज्य कर्मचारी :

(a): जो व्यक्ति राजस्थान सरकार, राज्य के स्थानीय निकायो व राजस्थान सरकार के वैधानिक निकायों के अधीन नियमित रूप से कार्यरत है तथा केन्द्र सरकार के कर्मचारी जो राजस्थान के मूल निवासी है, उन्ही को राज्य/केन्द्र कर्मचारी के वर्ग मे माना जायेगा। ऐसे व्यक्ति को अपने नियोजक/विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा। पेंशनर को इस वर्ग में नही माना जावेगा। पात्रता हेतु वार्षिक आय 20.00 लाख रूपये से अधिक नहीं हो।

(इ) राज्य कर्मचारी की विधवा भी राज्य कर्मचारी की मृत्यु के 10 वर्ष की अवधि तक इस श्रेणी के अन्तर्गत पात्र होगी, किन्तु उसके पति की वार्षिक आय, मृत्यु के समय 6.00 लाख से अधिक नहीं होने पर ही पात्र होगी।

(ब) केन्द्र सरकार के कर्मचारी जो राजस्थान के मूल निवासी हो, वार्षिक आय 20.00 लाख से अधिक नहीं होने पर पात्र होंगे।

2. सैनिक का अर्थ थल, जल, वायुसेना, बी.एस.एफ., सी.आर.पी.एफ. एवं सी.आई.एस.एफ.,कार्यरत अथवा इन सेवाओ से सेवानिवृत कर्मचारी/अधिकारी से है। सैनिको की विधवायें वे है जिनके पति सैनिक रहे हो एवं मृत्यु सेवा काल के दौरान हो गई हो। पात्रता हेतु वार्षिक आय 20.00 लाख से अधिक नहीं हो।

3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य वह व्यक्ति है जो राजस्थान की जनगणना मे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के रूप मे सूचीबद्ध है। ऐसे व्यक्ति को राजस्थान सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा। पात्रता हेतु वार्षिक आय 20.00 लाख रूपयें से अधिक नहीं हो।

4. ट्रांसजेण्डर पर्सन जिनकी वार्षिक आय 20.00 लाख से अधिक नहीं हो, पात्र होंगे।

5. अधिस्वीकृत पत्रकार वे है जिन्हे राजस्थान सरकार/भारत सरकार की प्राधिकृत संस्था द्वारा अधिस्वीकृत पत्रकार की मान्यता दी गई है एवं वर्तमान में भी पत्रकारिता का कार्य कर रहे हो ।इस श्रेणी में आवेदन हेतु आवंटन के समय वार्षिक आय 20.00 लाख से अधिक नहीं हो।

6. शारीरिक दिव्यांग व्यक्ति वे है जो शारीरिक अयोग्यता के कारण दिव्यांग हो चुके है तथा राज्य सरकार के प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित है।इस श्रेणी में आवेदन हेतु आवंटन के समय वार्षिक आय 20.00 लाख से अधिक नहीं हो। दिव्यांग आवेदक को आवेदन में दिव्यांग के साथ आरक्षित/अनारक्षित श्रेणी अर्थात् राज्य कर्मचारी/सैनिक/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ट्रांसजेण्डर/अधिस्वीकृत पत्रकार/सामान्य का उल्लेख किया जाना आवश्यक है।

7. बेसहारा भूमिहीन एकल महिला की श्रेणी में आवेदन करने के लिए पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र संलग्न करते हुए पुनर्विवाह नहीं करने तथा विवाह विच्छेद होने की स्थिति में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश/डिक्री की प्रति तथा पुनर्विवाह नहीं करने, आवेदक के पास आवास/भूखण्ड/ भूमि नहीं होने, वयस्क सन्तान नहीं होने के सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी (जो तहसीलदार के स्तर से कम नहीं हो) द्वारा जारी प्रमाण पत्र/मान्य दस्तावेज सलंग्न करना होगा।इस श्रेणी में आवेदन के लिए वार्षिक आय 0.80 लाख से अधिक नहीं हो। बेसहारा भूमिहीन एकल महिला आवेदक को आवेदन में बेसहारा के साथ आरक्षित/अनारक्षित श्रेणी अर्थात् राज्य कर्मचारी/सैनिक/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ ट्रांसजेण्डर/अधिस्वीकृत पत्रकार/सामान्य का उल्लेख किया जाना आवश्यक है।

आवेदन कैसे करे

- किसी भी आरक्षित वर्ग के आवेदन पत्र पर्याप्त संख्या मे प्राप्त नही होने पर उस ग्रुप के शेष भूखण्डो का आवंटन सामान्य श्रेणी के उसी ग्रुप के आवेदको को किया जायेगा।
- यदि किसी साईज/क्षेत्रफल के अन्तर्गत प्राप्त कुल आवेदन पत्र उपलब्ध भूखण्डों की तुलना में कम हो तो श्रेणीवार लॉटरी नहीं निकाली जाकर उस साईज/क्षेत्रफल के उपलब्ध भूखण्ड एवं प्राप्त आवेदनों के आधार पर सकंलित लॉटरी निकाली जायेगी।
- आरक्षित वर्ग के संयुक्त आवेदन की स्थिति में सभी आवेदकों को एक ही आरक्षित श्रेणी का होना अनिवार्य है अन्यथा आवेदन पत्र निरस्त किया जावेगा।
- अन्य पिछड़ा वर्ग से सम्बन्धित आवेदकों द्वारा एस.सी./एस.टी. वर्ग में आवेदन नही किया जा सकता है ।यदि ऐसे आवेदन पाये गये तो वह निरस्त योग्य होंगे।
- किसी आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत आवेदन करते समय यह सुनिश्चित करले कि उस श्रेणी के लिए निर्धारित प्रतिशत के आधार पर भूखण्ड उपलब्ध है।
- क्षेतिज आरक्षण (दिव्यांग/बेसहारा भूमिहीन एकल महिला) के अंतर्गत आवेदन करने पर आरक्षित/अनारक्षित श्रेणियों के लिए उपलब्ध भूखण्डों में से पहली प्राथमिकता ऐसे पात्र व्यक्तियों को रहेगी।

एक व्यक्ति के द्वारा एक से अधिक (क्षेतिज आरक्षण के अंतर्गत अर्थात् दिव्यांग /बेसहारा भूमिहीन एकल महिला को छोड़कर)आवेदन किये जा सकते है। एक परिवार **के एक से** अधिक सदस्य भी भूखण्ड आवंटन हेतु आवेदन कर सकते है, **जिन्हें एक से** अधिक भूखण्ड आवंटन किये जा सकते है, किन्तु लॉटरी निकलने के पश्चात् भूखण्ड निरस्त करने/पंजीयन राशि वापसी की मांग स्वीकार योग्य नहीं होगी। दिव्यांग /बेसहारा भूमिहीन एकल महिला के अंतर्गत एक व्यक्तिद्वारा एक ही आवेदन किया जा सकता है।

COMPLEMENTARY COPY

आवेदन कैसे करे

1. आवेदक को निर्धारित पंजीकरण राशि एवम् 2000/- का प्रशासनिक शुल्क (Non Refundable) डिमाण्ड ड्राफ्ट/चैक संलग्न करते हुए आवेदन फार्म योजना के लिए निर्धारित बैंक में जमा कराना होगा।

2. पंजीकरण मय प्रशासनिक शुल्क राशि यूआईटी कोटा में देय, किसी भी बैंक के सिंगल डिमाण्ड ड्राफ्ट/पे-ऑर्डर/चैक द्वारा आवेदन पुस्तिका में निर्धारित बैंक की किसी भी नोडल शाखा में जमा करनी होगी

3. आवश्यक भुगतान के साथ सभी तरह से विधिवत पूरा आवेदन-पत्र आवेदन पुस्तिका में योजना के लिए निर्धारित बैंक में जमा कराने की अंतिम तिथि से पूर्व बैंकिंग समय के समापन से पूर्व जमा किये जा सकेगें। यूआईटी समापन समय के पश्चात, किसी भी कारण से आवेदन पत्र की प्राप्ति में विलम्ब के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

4. आवेदन पत्र योजना बंद होने की तिथि के बाद स्वीकार नहीं किये जायेंगे। यदि किसी स्तर पर यह पाया जाता है कि भुगतान की तिथि योजना के बंद होने के बाद की है तो ऐसे आवेदन पत्रो को अस्वीकार कर दिया जायेगा और इसका पूर्ण जिम्मेदार आवेदक होगा। लॉटरी के ड्रा में ऐसे आवेदन पत्र पर विचार नही किया जावेगा।

5. किसी भी योजना में आवेदन के पूर्व भली-भांति विचार कर लेवे। आवेदन फार्म जमा करने के उपरान्त आवेदन विद्ड्रा करते हुये जमा राशि वापस करने अथवा योजना/साईज में परिवर्तन करने के आवेदन पर विचार किया जाना सम्भव नहीं होने के लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होंगे।

6. किसी भी सशर्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा। दस्तावेज के अभाव में तथा अपूर्ण आवेदन पत्रो को आवेदक को बिना कोई कारण बताये सीधे ही अस्वीकार कर दिया जाएगा।

7. किसी भी आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत आवेदन करते समय यह सुनिश्चित करले कि निर्धारित प्रतिशतता के आधार पर उस श्रेणी में भूखण्ड उपलब्ध है।

आवेदन पत्र के साथ जमा किये जाने वाले दस्तावेज

(क) समस्त वर्गों के लिए

1. निर्धारित पंजीयन राशि एवं प्रशासनिक शुल्क का डिमाण्ड ड्राफ्ट/पे आर्डर/चैक
2. आधार कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति।
3. कर योग्य आय (Taxable Income) होने की स्थिति में आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति।
4. निवास का प्रमाण जैसे पासपोर्ट, सरकारी पहचान पत्र, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड,ड्राईविंग लाईसेंस, टेलीफोन बिल, बिजली का बिल, पानी का बिल, गृह कर की रसीद, बैंक पास बुक (जिस पर नाम व पता हो) की स्वप्रमाणित प्रति।
5. आवेदक के बैंक खाते का एक Cancelled चैक अथवा नवीनतम पास बुक की प्रति जिसमे खाता संख्या एवं बैंक के प्थ्ैब्कोड नं. हो।

(ख) आरक्षित वर्ग के लिए:-

उपर्युक्त (क) के अतिरिक्त किसी भी आरक्षित वर्ग के अंतर्गत आवेदन करने वाले आवेदको को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

1. यदि आवेदक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आरक्षित वर्गो से संबंध रखता है, तो उसे निर्धारित प्रपत्र में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र अथवा संबंधित क्षेत्र के जिला मजिस्ट्रेट/सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट/ तहसीलदार/नायब तहसीलदार से प्राप्त मूल प्रमाण पत्र की स्व-अनुप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
2. यदि आवेदक शारीरिक दिव्यांग व्यक्तियों के आरक्षित वर्ग के अन्तर्गत आवेदन करता है, तो उसे सक्षम प्राधिकारी/सरकारी अस्पताल के मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किए गए मूल प्रमाण पत्र की स्व-अनुप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
3. भूतपूर्व सैनिको के मामले में रक्षा मंत्रालय/सशस्त्र बलों के सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त सेवा मुक्ति प्रमाण पत्र की अनुप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
4. यदि आवेदक युद्ध में शहीद हुए सैनिको की विधवाओं,जिसमें उदारीकृत पेंशन प्राप्त करने वाली विधवाएं भी शामिल है, की आरक्षित श्रेणी के अन्तर्गत आता है तो उसे रक्षा मंत्रालय/सशस्त्र बलों/अर्द्धसैनिक बलों द्वारा जारी किए गए ''अपेक्षित प्रमाण-पत्र'' की स्व-अनुप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

5. राज्य सरकार के विभागों स्थानीय निकायों एवं राजस्थान सरकार के वैधानिक निकायों के कर्मचारियों/ केन्द्र सरकार के कर्मचारी जो राजस्थान के मूल निवासी है, को सक्षम अधिकारी/अपने नियोजक/विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

6. राज्य कर्मचारी की विधवा के द्वारा राज्य कर्मचारी श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन करने पर उसके पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, पति की मृत्यु के समय राज्य कर्मचारी होने के सम्बन्ध में नियोक्ता द्वारा जारी प्रमाण पत्र, मृत्यु के समय पति की वार्षिक आय 6.00 लाख से अधिक नहीं होने के सम्बन्ध में ITR की प्रति या अन्य कोई साक्ष्य, पी0पी0ओ0 की प्रति, उसकी पत्नि होने एवं पुनर्विवाह नहीं करने के सम्बन्ध में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

7. बेसहारा भूमिहीन एकल महिला की श्रेणी में आवेदन करने के लिए पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र संलग्न करते हुए पुनर्विवाह नहीं करने तथा विवाह विच्छेद होने की स्थिति में माननीय न्यायाालय द्वारा पारित आदेश/डिक्री की प्रति तथा पुनर्विवाह नहीं करने, आवेदक के पास आवास/भूखण्ड/ भूमि नहीं होने, वयस्क सन्तान नहीं होने के सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी (जो तहसीलदार स्तर से कम नहीं हो) द्वारा जारी प्रमाण पत्र/मान्य दस्तावेज सलंग्न करना होगा। इस श्रेणी में आवेदन के लिए वार्षिक आय 0.80 लाख से अधिक नहीं हो।

आवंटन की प्रक्रिया

(1) लाटरी योग्य भूखण्डो की कुल संख्या 180 है। उक्त संख्या उपलब्धता के अनुसार घटाई-बढाई जा सकती है। भूखण्डो का आवंटन लॉटरी पद्धति के अनुसार राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 व राजस्थान नगर सुधार (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के अन्तर्गत 99 वर्षीय पट्टेदारी लीज होल्ड के आधार पर किया जावेगा। लॉटरी जन साधारण के सामने निकाली जावेगी जिसकी तिथि की सूचना स्थानीय प्रमुख समाचार पत्रों में दी जावेगी।

(2) किसी साईज/क्षेत्रफल के अंतर्गत आरक्षित वर्ग के आवेदन पत्र पर्याप्त संख्या में प्राप्त नही होने की स्थिति में उस साईज/क्षेत्रफल के शेष भूखण्डो का आवंटन सामान्य श्रेणी के आवेदको को किया जायेगा तथा किसी साईज/क्षेत्रफल के अन्तर्गत कुल उपलब्ध भूखण्डों की तुलना में सभी श्रेणियों के प्राप्त कुल आवेदन

पत्रों की संख्या कम होने की स्थिति में सभी श्रेणियों के आवेदकों को भूखण्ड आवंटित किये जायेंगे।

(3) आवेदको के द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर भी लॉटरी निकाली जा सकती है। ऐसी स्थिति में यदि लॉटरी निकालने के बाद आवेदन पत्रों में कोई कमी अथवा मिथ्या सूचना पाई जाती है तो सफल आवेदकों की सूची से नाम हटाते हुए आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा। अतः आवेदन फार्म भरते समय आवेदक निर्धारित मापदण्डो की पालना सुनिश्चित कर लें।

(4) पात्र आवेदन पत्रों के आधार पर उपलब्ध भूखण्डों की लॉटरी आमजन के समक्ष निकाली जायेगी। लॉटरी का लाईव प्रसारण यूआईटी के फेसबुक पेज पर https://www.facebook.com/100963708833473/live/ प्रदर्शित करवाया जा सकता है। सफल आवेदकों की सूची भी न्यास की वेबसाईट http://urban.rajasthan.gov.in/uitkota पर उपलब्ध करवाई जायेगी।

(5) सफल आवंटियों को मांग एवं आवंटन पत्र शिविर आयोजित करके उसमें वितरित किये जायेगें अथवा पंजीकृत डाक से भेजे जाऐंगे। सफल आवंटियों की सूची न्यास की वेबसाइट http://urban.rajasthan.gov.in/uitkota पर अपलोड करवाई जायेगी तथा न्यास के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जावेगी। ऐसी स्थिति में आवेदक/आवंटियों को मांग एवं आवंटन पत्र देर से मिलने/नही मिलने के लिए नगर विकास न्यास जिम्मेदार नहीं होगा।

SAMPLE/SPECIMEN COPY

मांगी गई राशि के भुगतान की अवधि पद्धति :-

आवंटित भूखण्ड का भुगतान निम्नानुसार जमा करवाना होगा :-

आवंटन पत्र जारी होने के 30 दिवस में	15 प्रतिशत
आवंटन पत्र जारी होने के 60 दिवस में	35 प्रतिशत
आवंटन पत्र जारी होने के 120 दिवस में	50 प्रतिशत जमा पंजीयन राशि कम करते हुए

नोटः-

1. देय राशि उपरोक्तानुसार जमा करवाना होगा तथा 120+90=210 दिवस तक 9% वार्षिक दर से ब्याज सहित जमा करवाई जा सकती है। इसके अभाव में आवंटन स्वतः ही निरस्त कर दिया जायेगा तथा जमा सम्पूर्ण राशि जब्त कर ली जायेगी।

2. आवंटन पत्र जारी होने के 45 दिवस में सम्पूर्ण राशि एक मुश्त जमा कराने पर भूखण्ड की कुल कीमत की 5 प्रतिशत छूट दी जायेगी।

3. साईट प्लान के रू. 200/- देय अन्तिम किश्त अर्थात देय 50 प्रतिशत राशि के साथ तथा यदि सम्पूर्ण राशि एक मुश्त जमा करवाई जाती है तो उसके साथ जमा करवाने होंगे।

   आवेदन पत्र के साथ जमा कराई पंजीयन राशि बिना ब्याज के भूखण्ड की राशि में समायोजित कर ली जावेगी। शेष भुगतान योग्य राशि स्थानीय चैक/डी.डी./पे ऑर्डर द्वारा न्यास में जमा करवाई जा सकेगी अथवा आवेदन पुस्तिका में उल्लेखित बैंक में निर्धारित अवधि में जमा करवाते हुए न्यास को सूचित करना होगा। निर्धारित अवधि में न्यास खाते में राशि जमा कराने का दायित्व आवंटी का होगा।

असफल आवेदकों की पंजीयन राशि की वापसी :-

1. नगर विकास न्यास को दी गई पंजीकरण राशि आवेदक पुस्तिका में उल्लेखित बैंक द्वारा वापस की जाएगी। संबंधित बैंक, असफल आवेदकों को धन वापसी के लिए उत्तरदायी होगा। इसमें किसी प्रकार की हानि के मामले में जिम्मेदारी बैंक द्वारा ली जाएगी। यूआईटी या बैंक योजना के बंद होने के एक साल के बाद राशि वापसी/धन वापसी के चैक का भुगतान न होने से संबंधित आवेदन स्वीकार नहीं करेगा।
2. जमा राशि वापस प्राप्त करने के लिए आवेदक को अपने बैंक खाते का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना होगा। एकाउंट नम्बर एवं बैंक के विवरण चैक पर चिन्हित होंगे। इसलिए आवेदक को ध्यानपूर्वक ये विवरण आवेदन पत्र में भरने होंगे।
3. यदि आवेदक ने एक ऐसे स्थान/कार्यालय का पता दिया है, जहां डाक/कोरियर का प्रवेश प्रतिबंधित है, वहां मांग पत्र भेजने सहित सभी पत्र व्यवहार डाक/कोरियर के असफल रहने पर निर्धारित तरीके से भेजे जाएंगें। ऐसे मामलो में आवेदक/आवंटी द्वारा पत्र प्राप्ति में देरी/प्राप्त नहीं होने के लिए यूआईटी/बैंक उत्तरदायी नही होगा।

<u>टिप्पणी-</u> यदि आवेदक की फर्म/कंपनी के खाते से आवेदन शुल्क का भुगतान किया जा चुका है तो राशि वापिस करने के उद्देश्य से आवेदक को अपने बैंक संबंधी ब्योरे उपलब्ध कराने होंगे क्योकि इन ब्यौरों को धन वापसी चैक पर भी लिखा जाएगा। यदि खाता संख्या और पाने वाले का नाम असंगत है तो बैंक भुगतान नही करेगा। ऐसी स्थिति से बचने के लिए यह सलाह दी जाती है कि आप आवेदन पत्र भरने से पूर्व इसकी पुनः जांच कर लें।

ऋण हेतु आनपत्ति प्रमाण पत्र (NOC)

सफल आवेदकों द्वारा भूखण्ड पर ऋण चाहने पर एन.ओ.सी, हेतु आवेदन पत्र मय बैंक का पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसके आधार पर न्यास द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन. ओ.सी) जारी किया जा सकेगा। समय पर राशि जमा कराने की जिम्मेदारी आवंटी की होगी।

भूखण्डो की रजिस्ट्री :-

सम्पूर्ण राशि जमा होने पर न्यास में पट्टा विलेख (लीज डीड) प्रपत्र प्रस्तुत करना होगा। 12 माह के अन्दर पट्टा विलेख (लीज डीड) प्रपत्र प्रस्तुत नही करने पर न्यास द्वारा रू. 2000/- प्रति माह तक भूखण्ड की साईज के अनुसार शास्ति (पेनाल्टी) लगाई जावेगी। तद्परान्त नगरीय कर (लीज) जमा करने पर न्यास द्वारा पट्टा विलेख (लीज डीड) जारी किया जावेगा। आंवटी द्वारा इस पट्टा विलेख का पंजीयन सब रजिस्ट्रार कार्यालय में कराया जावेगा। पट्टा विलेख का समस्त व्यय आंवंटी द्वारा वहन किया जावेगा।

भूखण्ड पर नगरीय कर (लीज)

1. भूखण्ड पर नगरीय कर योजना की आरक्षित दर के आधार पर नियमानुसार जमा करवाना होगा।

2. आठ (8) वर्ष नगरीय कर पूर्ण दर से एकमुश्त जमा करवाने पर 99 वर्ष तक नगरीय कर में छूट प्रदान की जावेगी।

भूखण्ड का कब्जा :-

लीज डीड का पंजीयन स्थानीय पंजीयन कार्यालय से कराने के बाद उसकी स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करते हुए कब्जा पत्र जारी करने हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत करना होगा। आवंटी कब्जा पत्र कार्यालय से प्राप्त करेंगे अथवा उनको रजिस्टर्ड डाक से भिजवाया जावेगा। कब्जा पत्र जारी करने की तिथि से 15 दिन के अन्दर आवंटी को न्यास के कनिष्ठ अभियन्ता से सम्पर्क करना होगा, अन्यथा कब्जा स्वतः लिया हुआ मान लिया जावेगा। तत्पश्चात न्यास की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी । अतिरिक्त भूमि होने पर नियमानुसार अतिरिक्त राशि आवंटी को तुरन्त जमा करानी होगी तथा भूखण्ड कॉर्नर का होने पर भूखण्ड की राशि का 10 प्रतिशत अतिरिक्त राशि आवंटी को देनी होगी।

भूखण्ड का हस्तान्तरण :-

आवंटी द्वारा भूखण्ड का पट्टा विलेख जारी करवाने के पश्चात पट्टा विलेख का पंजीयन करवाने, नगरीय कर जमा करवाने एवं कब्जा प्राप्त करने पर न्यास से स्वीकृति प्राप्त कर भूखण्ड का हस्तान्तरण अर्थात विक्रय किया जा सकता है। भूखण्ड के विक्रय हेतु स्वीकृति/अनुमति हेतु देय 10 प्रतिशत कर (लेवी) से मुक्तरखा गया है अर्थात् कोई कर(लेवी)देय नहीं है।

भूखण्ड पर निर्माण कार्यः-

भूखण्ड पर 7 वर्ष के अन्दर निर्माण कार्य करना होगा। 7 वर्ष के अन्दर एक आवासीय इकाई का निर्माण नहीं करवाया गया तो भूखण्ड का आवंटन निरस्त हो जावेगा तथा आवंटी को भविष्य में रियायती दर पर भूखण्ड नहीं दिया जावेगा। आवंटी द्वारा आवेदन करने पर विशेष परिस्थितियों मे न्यास अध्यक्ष व न्यास मण्डल निर्धारित राशि व ब्याज तथा शास्ति लेकर निरस्त भूखण्ड को नियमित करके भूखण्ड पर निर्माण के लिए अवधि नियमानुसार बढा सकते है। भूखण्ड पर निर्माण के लिए न्यास से निर्माण स्वीकृति प्राप्त करनी होगी तथा प्रस्तावित निर्माण का नक्शा स्वीकृत कराना आवश्यक होगा।

अन्यः-

1. भूखण्ड का पुनर्गठन/उपविभाजन न्यास की स्वीकृति के बिना नही किया जावेगा और न ही दो या अधिक भूखण्डो की एक इकाई बनाई जावेगी।
2. राज्य सरकार एवं न्यास द्वारा समय समय पर जारी किए नियम/संशोधन आवंटी पर लागू होंगे।
3. समस्त पत्राचार एवं ड्राफ्ट/चैक सचिव, नगर विकास न्यास, कोटा के नाम से होगा।
4. किसी भी विवाद का न्याय क्षेत्र कोटा शहर होगा।
5. आवंटी पर राजस्थान नगर सुधार न्यास अधिनियम 1959 व राजस्थान नगर सुधार (शहरी भूमि निष्पादन) नियम 1974 के समस्त प्रावधान तथा न्यास निर्णय समय समय पर संशोधन के साथ लागू होगें।
6. भूखण्डो की माप, संख्या कम/ज्यादा की जा सकती है विषम परिस्थितियों में आंवटित भूखण्ड का कब्जा नही दिए जाने की स्थिति मे आवेदक जमा राशि बिना ब्याज के लौटाई जा सकेगी तथा मौके की स्थिति के अनुसार भूखण्ड का क्षेत्रफल कम या अधिक हो सकता है जो कि आवंटी को स्वीकार करना होगा।
7. यदि किसी आवेदक द्वारा गलत सूचना देकर तथा मिथ्या तथ्यों के आधार पर न्यास को धोखे मे रखते हुए भूखण्ड आवंटन का प्रयास किया है अथवा आवंटन करा लिया है व आवेदन पुस्तिका में अंकित शर्तो का पालन नहीं किया तो ऐसे आवेदको की जमा राशि व भूखण्ड को जब्त कर लिया जावेगा तथा आवंटन निरस्त कर दिया जावेगा व नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

8. भूखण्ड अथवा उस पर बने भवन पर सक्षम अधिकारी द्वारा लागू किये समस्त कर शुल्क आदि की जिम्मेदारी आवंटी की होगी।

9. भूखण्ड आवंटन संबंधी समस्त प्रक्रिया संबंधी किसी भी बिन्दु पर विवाद होने पर अध्यक्ष, नगर विकास न्यास, कोटा का निर्णय सर्वमान्य व अंतिम होगा।

10. भूखण्ड के साथ अतिरिक्त जमीन की राशि नियमानुसार न्यास निर्णयानुसार आवंटी को अतिरिक्त जमा करानी होगी तथा भूखण्ड का क्षेत्रफल कम होने पर वास्तविक माप की राशि ही आंवटी से ली जावेगी।

11. लाटरी के संबंध में कोई भी जानकारी/सूचना वरिष्ठ/मुख्य लेखाधिकारी/वरिष्ठ/उप नगर नियोजक, नगर विकास न्यास, कोटा से प्राप्त की जा सकती है।

12. आवेदक योजना को आवेदन के पूर्व मौके पर जाकर देख लेंवे तथा संतुष्टी के पश्चात ही आवेदन करें।

13. आवेदक द्वारा आवेदन करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाना चाहिए कि उसके द्वारा निर्धारित साईज/क्षेत्रफल के लिए आवेदन पुस्तिका में उल्लेखित अनुमानित कीमत के अलावा (a) कॉर्नर भूखण्ड होने पर 10% अतिरिक्तचार्ज (b) क्षेत्रफल बढ़ने पर बढ़े हुए क्षेत्रफल की राशि (c) नगरीय कर की राशि (d) रजिस्ट्री (लीज डीड/पट्टा विलेख का सब रजिस्ट्रार कार्यालय में देय स्टाम्प ड्यूटी इत्यादि चार्जेज देय होंगे। यदि आवंटी द्वारा निर्धारित शर्तो की पालना नहीं की जाती है जैसे - (i) समय पर राशि जमा नहीं करवाई जाती है तो ब्याज/शास्ति (ii) समय पर रजिस्ट्री (लीज डीड/पट्टा विलेख न्यास में प्रस्तुत नहीं की जाती है तो शास्ति (पपप) निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं करवाया जाता है तो लेवी/शास्ति (iv) निर्धारित अवधि में पंजीयन कार्यालय से पंजीयन कराने के बाद उसकी स्वप्रमाणित प्रति प्रस्तुत नहीं की जाती है तो शास्ति की राशि इत्यादि चार्जेज भी देय होंगे।

14. आवेदको के द्वारा आवेदन पत्र में प्रस्तुत सूचना के आधार पर भी लॉटरी निकाली जा सकती है। ऐसी स्थिति में यदि लॉटरी निकालने के बाद आवेदन पत्रों में कोई कमी अथवा मिथ्या सूचना पाई जाती है तो सफल आवेदकों की सूची से नाम हटाते हुए आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा। अतः आवेदन फार्म भरते समय आवेदक निर्धारित मापदण्डो की पालना सुनिश्चित कर लें।

COMPLIMENTARY COPY

स्व घोषणा पत्र
(समस्त आवेदकों के लिए)

स्व प्रमाणित फोटो

मैं ....पुत्र/पत्नि/पुत्री ....
.... आयु.....................निवासी ....
....
.....................................घोषणा करता/करती हूँ, कि

(1) यह कि मैं राजस्थान का/ की मूल (बोनाफाईड) निवासी हूँ।

(2) यह कि आवेदन पुस्तिका को मैंने ध्यान, पूर्वक पढ़ लिया है तथा मेरे द्वारा आवंटन पुस्तिका में दिये गये समस्त नियमों की पालना की जायेगी।

(3) उक्त वांछित प्रमाण पत्र निर्धारित अवधि में प्रस्तुत नहीं करने/शर्तो की पूर्ति नही करने की स्थिति में मुझे आवंटित भूखण्ड निरस्त किया जा सकेगा।

दिनाकं : आवेदक/संयुक्त आवदेक के हस्ताक्षर

घोषणा

मैं .... पुत्र/पत्नि/पुत्री श्री ....
.... घोषणा करता/करती हूँ, कि उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है एवं मेरे द्वारा कोई तथ्य नही छपु ाया गया है। इस तथ्य से वाकिफ हूँ कि अगर मेरे द्वारा दी गई सूचना गलत पाई जाती है तो मेरे विरूद्ध काननू ी कार्यवाही की जावेगी।

तथा इस योजनान्तर्गत किये गये आवास का आवंटन रद्द कर दिया जायेगा।

दिनांकः आवेदक/संयुक्त आवदेक के हस्ताक्षर

राज्य सरकार के विभाग/स्थानीय निकाय/वैधानिक निकाय अथवा केन्द्र सरकार के कर्मचारी (राजस्थान के मूल निवासी) के लिए

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..
पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री ....
.....................इस कार्यालय/विभाग में दिनांक ....
.... से पद.. पर कार्यरत है तथा पे बेण्ड में रनिंग पे बेण्ड.............................. है तथा इनकी ग्रेड पे .... है
इनका माह....................का वेतन निम्न प्रकार है :-

1. वेतन. ग्रेड पे	रूपये..............................
2. विशेष वेतन	रूपये..............................
3. डी.ए.	रूपये..............................
4. मकान किराया भत्ता	रूपये..............................
5. डेपूटेशन/शहरीय भत्ता	रूपये..............................
6. अन्य	रूपये..............................
योग	रूपये..............................

कुल मासिक वेतन (समस्त भत्तों सहित) ....
रूपये प्रति माह अक्षरे रूपये...
मात्र प्रतिमाह है। श्री...इस विभाग की राजकीय सेवा में अर्द्ध राजकीय सेवा मे ं नियमित वेतन श्रृंखला में कार्यरत है।

स्थानः –

दिनांक :-

हस्ताक्षर
सक्षम अधिकारी मय नाम पद एवं
मोहर

नोट :- यह प्रमाण पत्र विभागाध्यक्ष अथवा अन्य अधिकारी जो जिला स्तर के अधिकारी या उससे उच्च अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो।

अनुसूचित जाति/जनजाति के आवेदकों हेतु प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री...

..../पुत्री/पत्नि श्री..

निवासी..

जिला..(राज.) जाति...................................... के सदस्य है

जो कि अनुसूचित जाति/जनजाति (सूची) संशोधन अधिनियम 1956 के अंतर्गत राजस्थान की अनुसूचित जाति/जनजाति में शामिल है।

हस्ताक्षर

स्थान — प्राधिकृत अधिकारी

दिनांक — (कार्यालय की मोहर सहित)

(सम्बन्धित क्षेत्र के जिला मजिस्ट्रेट/सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/नायब तहसीलदार द्वारा जारी मूल प्रमाण-पत्र की स्व-अनुप्रमाणित प्रति संलग्न की जा सकती है।)

बेसहारा, भूमिहीन एकल महिलाओं के लिए प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती...
आधार कार्ड नं. ....
पत्नि स्व. श्री/तलाकशुदा श्री ....
निवासी...
जिला...

(1) श्रीमती................................के पति श्री..............................
की मृत्यु दिनांक....................................को हुई थी।

अथवा

श्रीमती................................के पति श्री........................
से विवाह विच्छेद हो गया है। विवाद विच्छेद के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय......................................द्वारा पारित आदेश/डिक्री दिनांक......................को जारी किया गया है।

(2) इनके द्वारा पुनर्विवाह नहीं किया गया है।

(2) इनके पास आवास/भूखण्ड/भूमि नहीं है।

(4) इनकी कोई वयस्क सन्तान नहीं हैं।

(5) इनकी वार्षिक आय 0.80 लाख से अधिक नहीं है।

COMPLEMENTARY COPY

हस्ताक्षर
प्राधिकृत अधिकारी
(कार्यालय की मोहर सहित)

स्थान
दिनांक

(सम्बन्धित क्षेत्र के जिला मजिस्ट्रेट/सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/नायब तहसीलदार द्वारा जारी मूल प्रमाण-पत्र की स्व-अनुप्रमाणित प्रति संलग्न की जा सकती है।)

सैनिक कोटे के अन्तर्गत आरक्षित भूखण्डों हेतु स्व घोषणा पत्र

मैं .... पुत्र/पत्नि/पुत्री ....
आयु...निवासी...
....घोषणा करता/करती हूँ, कि:-

(1) यह कि उक्त आवासीय याजे ना मे सैनिक कोटे से आरक्षित भूखण्ड हते, आवेदन कर रहा हूँ।

(2) मैं थल/जल/वायुसेना/बी.एस.एफ./सी.आर.पी.एफ./सी.आई.एस.एफ. .... में कार्यरत/सेवानिवृत अधिकारी/कर्मचारी हूँ।

(3) यह कि मेरे पिता/पति/पत्नि सैनिक थे, जिनकी मृत्यु ड्यूटी के दौरान हो चुकी है। मै उनके ऊपर आश्रित होने के आधार पर आरक्षित कोटे से भूखण्ड आवटंन हेतु आवेदन कर रहा हूँ।

(4) मेरी वार्षिक आय 20.00 लाख रूपए से अधिक नहीं है।

(5) उक्त सम्बन्ध में प्रमाण हेतु दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न कर रहा हूँ।

संलग्न

दिनांक :   आवेदक के हस्ताक्षर

घोषणा

मैं .... पुत्र/पत्नि/पुत्री श्री ....
घोषणा करता/करती हूँ, कि उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है एव मेरे द्वारा कोई तथ्य नही छुपाया गया है। इस तथ्य से वाकिफ हॅू कि अगर मेरे द्वारा दी गई सूचना गलत पाई जाती है तो मेरे विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी तथा इस योजनान्तर्गत किये गये भूखण्ड का आवंटन रद्द कर दिया जायेगा।

दिनांक :   आवेदक के हस्ताक्षर

दिव्यांग/निःशक्त/ विकलांग (PwD) प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री ....

पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री .... निवासी........................

....

की मेरे द्वारा चिकित्सकीय जांच की गयी तथा ये नियमानुसार शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं।

स्थान : प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी

दिनांक : के हस्ताक्षर मय मोहर

अधिस्वीकृत पत्रकारों (Accredited Journalist) के लिए प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री ....

पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री ....निवासी........................

....तहसील ....

जिला .... अधिस्वीकृत पत्रकार है।

स्थानः निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क/प्राधिकृत

दिनांक : अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर

नगर विकास न्यास, कोटा

क्रमांक

आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि :– 26.06.2023

आवेदन पत्र

उम्मेदगंज नगर आवासीय योजना

नवीनतम स्व प्रमाणित फोटो

1. आवेदक /संयुक्त आवेदक का नाम (हिन्दी में):..

आवेदक/संयुक्त आवेदक का नाम (अंग्रेजी में, कैपिटल लेटर) ....

2. आवेदक के पिता/पति का नाम (हिन्दी में) :..

आवेदक के पिता/पति का नाम (अंग्रेजी में, कैपिटल लेटर) :..

3. आवेदक का स्थाई पता..

....मोबाईल/टेलिफोन नं.........................

4. बैंक खाता संख्या..बैंक का नाम............................IFSC Code................

स्थायी खाता संख्या (PAN NUMBER)

5. आधार कार्ड नं. ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐

6. आवेदक का व्यवसाय या नौकरी क्या हैं (कोष्ठक में लिखे) ☐

7. आवेदक निम्न जिस वर्ग में भूखण्ड चाहता हैं उस वर्ग को कोष्ठक में लिखें ☐

एस.सी./एस.टी./सामान्य (कोई भी वर्ग कोष्ठक में अंकित नही करने की स्थिति में आवेदन सामान्य वर्ग में माना जावेगा।

8. आवेदित भूखण्ड का विवरण श्रेणी कृपया सही (✓) का चिन्ह अंकित करें।

☐ 12 X 21 = 252 वर्ग मी. ☐ 9 X 18 = 162 वर्ग मी. ☐ 7.5 X 15 = 112.5 वर्ग मी.

9. पंजीयन राशि जमा का विवरण:–

(1) चालान नं. ....(2) दिनांक ....

(2) राशि .... (3) डी डी/चैक नं. ....

10. आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रमाण पत्र कृपया सही ( ) का चिन्ह अंकित करें। :–

☐ आधार कार्ड ☐ PAN CARD ☐ D.D. Cheque ☐ कैंसिल चैक ☐ आरक्षित वर्ग का प्रमाण पत्र ☐ निवास प्रमाण पत्र ☐ स्वघोषणा

11. मैने आवेदन पत्र विवरणिका का ध्यान पूर्वक अध्ययन कर लिया है तथा समझ लिया है मुझे वर्णित शर्ते स्वीकार है।

12. मिथ्या तथ्यों के आधार पर प्राप्त किया भूखण्ड का आवंटन किसी समय निरस्त कर न्यास द्वारा राशि जब्त की जा सकेगी व नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी।

13. समय – समय पर राज्य सरकार/नगर विकास न्यास एवं न्यास मण्डल में लिये गये निर्णयों को मानने के लिए मैं अपनी सहमति व्यक्त करता हूँ।

14. आवेदन हेतु प्रस्तुत सभी सूचनाऐं सही व प्रमाणित हैं।

दिनांक: स्थान : आवेदक/संयुक्त के हस्ताक्षर

COMPLEMENTARY COPY

प्रार्थी द्वारा भरा जाना चाहिये

नाम व पता

आवेदन पत्र प्राप्ति रसीद **उम्मेदगंज नगर आवासीय भूखण्ड हेतु**

क्रमांक :

नाम..

....

पताः..

....

चालान राशि..

बैंक व शाखा का नाम..

डी.डी./चैक/UTR नं. ....

जमा करने की तिथि..

हस्ताक्षर प्राप्तकर्ता मय सील

बड़ौदा रा.क्षे.ग्रा.बैंक A/C 45800100203365
IFSC Code : BARB0BRGBXX (Five digit is zero)

नगर विकास न्यास, कोटा

प्रथम प्रति

(जमाकर्ता द्वारा अपने फार्म के साथ संलग्न करने हेतु)

चालान नं. दिनांक..............

नाम..............

पिता/पति का नाम..............

....

पता..............

....

उम्मेदगंज नगर आवासीय योजना

विवरण	रुपये
पंजीयन राशि	
☐ 12 X 21 =252 sqm 3,80,000/-	
☐ 9 X 18 =162 Sqm 2,50,000/-	
☐ 7.5 X 15 =112.5Sqm 1,70,000/-	
प्रशासनिक शुल्क	
चैक/डी.डी. नं..............	2,000/-
दिनांक..............	
योग :-	

अक्षरे रूपये..............

आवेदक/संयुक्त आवेदक के हस्ताक्षर

COMPLEMENTARY COPY

बड़ौदा रा.क्षे.ग्रा.बैंक A/C 45800100203365
IFSC Code : BARB0BRGBXX (Five digit is zero)

नगर विकास न्यास, कोटा

द्वितीय प्रति

(बैंक द्वारा स्टेटमेन्ट के साथ यू.आई.टी. को प्रस्तुत करने हेतु)

चालान नं. दिनांक..............

नाम..............

पिता/पति का नाम..............

....

पता..............

....

उम्मेदगंज नगर आवासीय योजना

विवरण	रुपये
पंजीयन राशि	
☐ 12 X 21 =252 sqm 3,80,000/-	
☐ 9 X 18 =162 Sqm 2,50,000/-	
☐ 7.5 X 15 =112.5Sqm 1,70,000/-	
प्रशासनिक शुल्क	
चैक/डी.डी. नं..............	2,000/-
दिनांक..............	
योग :-	

अक्षरे रूपये..............

आवेदक/संयुक्त आवेदक के हस्ताक्षर

COMPLEMENTARY COPY

बड़ौदा रा.क्षे.ग्रा.बैंक A/C 45800100203365
IFSC Code : BARB0BRGBXX (Five digit is zero)

नगर विकास न्यास, कोटा

तृतीय प्रति

(बैंक द्वारा अपने पास रखने हेतु)

चालान नं. दिनांक..............

नाम..............

पिता/पति का नाम..............

....

पता..............

....

उम्मेदगंज नगर आवासीय योजना

विवरण	रुपये
पंजीयन राशि	
☐ 12 X 21 =252 sqm 3,80,000/-	
☐ 9 X 18 =162 Sqm 2,50,000/-	
☐ 7.5 X 15 =112.5Sqm 1,70,000/-	
प्रशासनिक शुल्क	
चैक/डी.डी. नं..............	2,000/-
दिनांक..............	
योग :-	

अक्षरे रूपये..............

आवेदक/संयुक्त आवेदक के हस्ताक्षर

बड़ौदा रा.क्षे.ग्रा.बैंक A/C 45800100203365
IFSC Code : BARB0BRGBXX (Five digit is zero)

नगर विकास न्यास, कोटा

चतुर्थ प्रति

(जमाकर्ता द्वारा अपने पास सुरक्षित रखने हेतु)

चालान नं. दिनांक..............

नाम..............

पिता/पति का नाम..............

....

पता..............

....

उम्मेदगंज नगर आवासीय योजना

विवरण	रुपये
पंजीयन राशि	
☐ 12 X 21 =252 sqm 3,80,000/-	
☐ 9 X 18 =162 Sqm 2,50,000/-	
☐ 7.5 X 15 =112.5Sqm 1,70,000/-	
प्रशासनिक शुल्क	
चैक/डी.डी. नं..............	2,000/-
दिनांक..............	
योग :-	

अक्षरे रूपये..............

आवेदक/संयुक्त आवेदक के हस्ताक्षर

आवेदन पत्र हेतु विशेष सूचना

* उम्मेदगंज नगर आवासीय योजना में आवेदन करने हेतु बड़ौदा राज. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की कोटा स्थित किसी भी शाखा से अथवा बारां, झालावाड़ एवं बून्दी की मुख्य शाखा से आवेदन फार्म प्राप्त एवं भरे हुए आवेदन फार्म जमा किये जा सकेगे।

Baroda Rajasthan kshetriya Gramin Bank

उम्मेदगंज नगर
आवासीय योजना

नगर विकास न्यास, कोटा

Ph. : 0744 2500539

kotauit@yahoo.com www.uitkota.org

UIT Kota Website - http://urban.rajasthan.gov.in/uitkota

जयदुर्गा प्रिन्टिंग प्रेस मो. 9468628483